REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2018

स्व. सहायता समुह पलायन रोकने में सहायक

श्रीमति विनिता गौतम, डॉ.ए.करीम, डॉ. एस.एस. खनूजा
[1]शोध पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर(छ.ग.)
सहायक प्राध्यापक शा. नवीन कन्या महाविद्यालय जिला बेमेतरा छ.ग.
[2]विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, शा. महाविद्यालय महासमुंद छ.ग.
[3]प्राचार्य दुर्गा महाविद्यालय रायपुर छ.ग.

संक्षेपिका

एक स्थान से दुसरे स्थान पर जाकर रहना और अपनी मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति करना पलायन कहलाता है।एव गांव से दूसरे गांव जाने की प्रवृति बढता गया है, ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले लोग प्रायः कृषि उत्पादन पर निर्भर रहते है फसल कटाई के पश्चात आय का कोई अन्य साधन नही होने के कारण लोग काम की तलाश मे गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर एवं अन्य राज्यो कि ओर पलायन करने लगते है पलायन का सिलसिला कोई नया मुददा नही है गांव में कृषि भूमि का लगातार कम होना आबादी बढना प्राकृतिक आपदा एवं सामाजिक भेदभाव के कारण लोग रोजी–रोटी की तलाश में नगर एवं शहर तथा अन्य राज्य की ओर पलायन करने लगते है।छ.ग. राज्य बनने के पश्चात पलायन में लगातार कमी पाई गई है जो कि राज्य निर्माण के पश्चात वर्ष 2000 से 2017 के बीच में पलायन की स्थति का वर्णन किया गया है।

मुख्य शब्द

पलायन, उत्पादन, साधन, आबादी, आपदा, कियानवयन रोजगारपरख, कार्यक्रम, योजना, समस्या बिचौलिए, असमानता, परिधि स्वं–सहायता समूह नवनिर्मित, अधिग्रहण, आत्मनिर्भर।

प्रस्तावना

पलायन रोकने एवं स्थानीय स्तर पर ही लोगो को रोजगार प्रदान करना सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है पलायन जैसी समस्या को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार एवं राज्या सरकार द्वारा अनेक रोजगारपरख कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमे पलायन स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध हो सके और पलायन जैसी गंभीर समस्या पर पाबंद लगाया जा सके सरकार द्वारा पलायन रोकने के लिए अनेक सरकारी योजना रोजगारपरख कार्यक्रम एवं स्वसंचालित आय अर्जन के साधन चलाये गये है तथा इसे बढावा दिया गया है परन्तु इन योजनाओ का लाभ सरकारी कर्मचारी एवं बिचौलिये ज्यादा ले रहे है, मनरेगा के तहत एक परिवार को 100 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान की गई है और यह रोजगार उसें निवास स्थान से 5 किलोमीटर कि परिधि में ही प्रदान किया जाता है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवार को प्रत्येक माह 35 किलो चावल 2 रूपये प्रति किलो के हिसाब से दी जा रही है आर्थिक असमानता तथा बेरोजगारी दुर करने के लिए स्वरोजगार परख कार्यक्रम जैसे मुर्गीपालन, मतस्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन,कुटीर उद्योगतथा समुह में काम करने वाले स्व सहायत समुह को सरकार द्वारा कम ब्याल पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

महिलाओ कि आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु चलाये जाने वाले अनेक कार्यक्रम में एक महिला स्व. सहायता समूह भी है जो कि महिलाओ को आत्म निर्भर बनाने में एक अनोखा एवं सार्थक प्रयास है, पुरातन काल से ही मनुष्य समाज के बीच मे रहकर अपना जीवन यापन करता आया है तथा एक दूसरे के साथ मिल जुलकर कार्य करता आया है इस प्रकार समूह में रहने कि स्थिति आज भी विद्यमान है समूह में रहकर कार्य

करना एवं सामूहिक बचत करना स्व. सहायता समुह आर्थिक उन्नति का साधन है इसके आलावा स्व सहायता समूह आर्थिक सक्षता को और अधिक मजबुती प्रदान करता है स्व सहायता समूह में कार्यरत महिलाये अपने जिविकोपार्जन के लिए विभिन्न क्रियाओ को अपनाकर एक दुसरे के साथ कार्य करते है तथा अपने छोटे–छोटे समूह के अर्न्तगत कार्य करने वाले लोगो के उत्थान उत्पादन, विक्रय एवं सामाजिक कार्यो के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने में सक्षम होते है स्व सहायता समूह का गठन एवं समूह का संचालन उन व्यक्तिओ पर निर्भर करता है जो इसमें भाग लेते है।

छ.ग. राज्य मे स्व सहायत समूह का अध्ययन एवं उद्दे□य

छ.ग. राज्य में ग्रामीण विकास और महिलाओ से संबंधित अन्य विभिन्न प्रकार के योजना के परिचालन के लिये स्व.सहायत समूह को आवश्यक उपयोगी बनाया गया है, वर्तमान समय में शासन की विभिन्न रोजगार परख कार्यक्रम एवं योजना जैसे स्वर्ण जयन्ती शहरी स्वरोजगार योजना एवं स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, महिला स्व सहायता समूह को एक निश्चित रूप प्रदान किया गया है। राज्य में जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग अपनी आजीविका चलाने के लिये कृषि पर निर्भर रहते है तथा आबादी का एक बडा भाग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिये मजबूर है गांव मे बुनियादी सुविधा का अभाव, बिजली पानी की समस्या आवास का अभाव अशिक्षा एवं बेरोजगारी व्याप्त है इसलिए गरीबी उनमुलन करने हेतु इस प्रकार स्वरोजगार परख कार्यक्रम को चलाया जाना अति आवश्यक है अभी तक आर्थिक व्यवस्था सुधारने हेतु किये गये प्रयास प्रर्याप्त नही है और ना ही इसका परिणाम भी संतोषजनक पाया गया है जिससे पलायन जैसी समस्या पर अंकुश लगाया जा सके सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में तेजी से आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे लोगो के जीवन स्थर मे सुधार हो सके, सरकार द्वारा कुछ स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओ पर बल दिया गया है जिसमें महिला स्व सहायता समूह को प्राथमिकता प्रदान किया गया है जो वर्तमान समय में विशेष भूमिका निभा रहा है। जिससे पलायन की स्थिति में कमी आयी है।

साहित्य समीक्षा

भारत में ग्रामीण विकास महिला स्व सहायता समूह द्वारा प्रबंध एवं तकनीकी शिक्षा का विकास–रेविका रोजी एवं सरचन्य पब्लिशींग शोध लेख।

:– महिलाओ की आर्थिक उन्नति में महिला स्व सहायता समूह की भूमिका :– शाह शर्मीला(2016)

:– महिला उद्यमिता विकास में स्व सहायता समूह की भूमिका – गनाना गोस्वामी(2009)

अध्ययन का क्षेत्रः–

यह अध्ययन छ.ग. राज्य के संदर्भ में किया गया है छ.ग. राज्य में पलायन रोकने में स्व सहायता समूह कि भूमिका का अध्ययन किया गया है।

शोध की प्रवृधि

इस अध्ययन में द्वितीयक समंक का प्रयोग किया गया है विभिन्न सरकारी रिकार्ड जनरल , विभिन्न पत्रिका, विभिन्न स्व सहायता समूह वार्षिक प्रतिवेदन एवं इंटरनेट में जारी किये गये जानकारी का प्रयोग किया गया है यह अध्ययन राज्य के पिछले 5 वर्षो के आकडो पर आधारित है।

पलायन का कारण

छत्तीसगढ राज्य से हर साल रोजगार के तलाश में लोग अपना गांव घर व अपना परिजनो को छोडकर अन्य प्रदेशो मे पलायन करते है प्रदेश के अधिकतर जिले पलायन से प्रभावित है, राज्य में उद्योग के जिये कृषि भूमि अधिग्रहण करने से खेतीहर मजदुर एवं छोटे किसान बेरोजगार हो रहे है, राज्य के जनता कृषि कार्य के पश्चात रोजगार की तलाश में रहते है इसी का फायदा उठाते हुये बिचौलिये एवं ठेकेदारज्यादा मजदुरी एवं ज्यादा फायदा उठाने का लालच देकर गांव से शहर एवं अन्य पडोसी राज्यो मे ले जाकर वहा के ईट भटठो एवं निर्माण कार्य में मजदूरी करवाते है छत्तीसगढ राज्य में अधिकतर धान कि खेती होती है तथा फसल कटाई

के पश्चात लोगो के पास कोई अन्य काम धन्धा नही रहा जाता ऐसे में इनको अपनी आजिविका चलाने के लिये मेहनत मजदूरी करनी पडती है इसके साथ अधिक फायदा कमाने के लालच में बाहर एवं अन्य राज्यो की ओर पलायन करने लगते है इसके अलावा पलायन के अन्य कारण भी है।

रोजगार के सीमित संसाधन

बेरोगारी की मार झेल रहे लोग काम के तलाश में अपने गांव व घर छोडकर अन्य राज्यो कि ओर पलायन करने लगते है पलायन करने वालो में अधिक संख्या मजदुर एवं किसान की है इन्हे समूचित मात्रा में रोजगार नही मिल रहा है।

शिक्षा एवं साक्षरता का अभाव

शिक्षा एवं साक्षरता का अभाव ग्रामीण जीवन का एक बहुत बडा पहलु है गांव में अच्छे स्कूल एवं अच्छी शिक्षा के ना मिल पाने के कारण माता–पिता अपनी बच्चो को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए शहर कि ओर पलायन कर रहे है।

निम्न मजदुरी

गांव में अन्य कार्य जैसे बढई, लोहे का काम, गाढी मरम्मत आदि कार्यो के लिए न्युनतम मजदुरी से भी कम दर (निम्न) मजदुरी प्रदान किया जाता है जिसके कारण भी पलायन शहर एवं अन्य राज्यो में हो रहा है।

नगरीय चकाचौध

राज्य में गांव से शहर कि ओर पलायन की प्रवृति बहुत ज्यादा है लोगो कि गरीबी जाति पर आधारित सामाजिक भेदभाव भी नगरीय चकाचौंध की ओर पलायन को बढावा देता है।

पलायन रोकने के लिए सरकार के प्रयास

छत्तीसगढ राज्य बनने के पूर्व केन्द्र सरकार के पास सीधे ग्रामीण क्षेत्रो में लाभ पहुचाने के लिए कोई योजना नही थी जिससे राज्य से होने वाला पलायन रूक पाता राज्य बनने के पश्चात केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक रोजगार परख योजनाओ का कियानवयन किया गया केन्द्र सरकार के उपरोक्त योजनाओ के बाद छत्तीसगढ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान योजना की शुरूवात की जिसके तहत 36 लाख से अधिक गरीब परिवार को 1 रूपये एवं 2 रूपये प्रति किलो कि दर से 35 किलोग्राम चावल दिया जा रहा है राज्य के किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिये खेती करने के लिये 12 फिसदी ब्याज दर को घटाकर 3 फिसदी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अनेक कल्याण्कारी योजना चलाये जा रहे है जिससे लाभ प्रदेश के जनता को मिल सके।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में समुह बनाकर कार्य करने वाले समुह को स्व रोजगार करने हेतु कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है ग्रामीणो को शहरो एवं अन्य राज्य में पलायन करने से रोकने और उन्हे गांव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजना चालायी जा रही है ग्रामीण क्षेत्रो का विकास करना एवं गांवो से गरीबी एवं भुखमरी हटाना ग्रामीण क्षेत्रो से गांव एवं शहरी अंतर को कम करना जनता को मुलभुत सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा अनेक रोजगारपरख कार्यक्रम चलाये जा रहे है।इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समाजिक सहायता कार्यक्रम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो मे अनेक जन कल्याणकारी योजना का संचालन किया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

शासन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के मुल निवासीयो को 200/– प्रतिमाह दी जा रही है जो निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता है।

:– 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धा।

:– 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित विधवा।

:– 6 वर्ष से 14 वर्ष के निराश्रित निः शक्त छात्र।
:– 14 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित निःशक्त व्यक्ति।

सुखद सहारा योजना

राज्य में 18 से 50 वर्ष तक के निराश्रित विधवा परित्यक्त महिलाओ को 200/– रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान की जाती है योजना का उद्देश्य विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओ के द्वारा पुनवासित होने तक सहायता प्रदान करना है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रिय वृध्दावस्था पेंशन योजना

इंदिरागांधी राष्ट्रिय वृध्दावस्था पेंशन योजना 2 अक्टुबर 1995 से संचालित की जा रही है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 65 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति को 300/– रूपय प्रतिमाह स्थानीय निकाय के माध्यम से दिया जाता है जिसमें 200 रूपये केन्द्र सरकार द्वारा एवं 100 राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीयविकलांग पेंशन योजना

यह योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है इस योजना के अन्तर्गत 48 से 64 वर्ष के आयु के गंभीर एवं बहु विकलांग की 200/– रूपये पेंशन भुगतान स्थानीय निकाय के माध्यम से दी जाती है।

ठंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधव पेंशन योजना वर्ष 2009 से संचालित की जा रही है इसके अंतर्गत 40 से 64 वर्ष तक के विधवा महिला को 200/– प्रतिमाह पेंशन स्थानीय निकास के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार के मुखिया स्त्री या पुरूष को प्रदान किया जाता है जिस पर परिवार की खर्चा चलाने की जिम्मेदारी रहती है जिनकी आयु 18 से 65 वर्ष तक के बीच की है जिसमें परिवार के मुखिया का अकास्मिक मृत्यु हो जाने पर 10000/– रूपय एक मुस्त प्रदान किया जाता है।

वरिष्ट नागरिक के लिए कार्यकम

प्रदेश के निराश्रीत एवं निर्धन व्यक्तिओ के सहायता के लिए अशासकिय निकाय को वृध्दाश्रम संचालन हेतु संग्रहित निराश्रीत निधि से 90% राशि प्रदान की जाती है।

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना

यह योजना स्वयं महत्वकांक्षी योजना है यह योजना देश के सबसे गरीब लोगो के लिए आय कि कमी से अपने परेशानियो को दुर करने के लिए संपति प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

दीनदयायल अंत्योदय योजना

इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास एवं अन्य उपाय के माध्यम से आजीविका के अवसरो में वृध्दि कर शहरी एवं ग्रामीण गरीबी को कम करना है योजना को मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुये बनाया गया है।

LBP PUBLICATION

महिलाओ के प्रशिक्षण रोजगार कार्यक्रम

इस योजना का उद्देश्य महिलाओ को रोजगार के सुविधा प्रदान करना है जो कि महिलाओ की स्व रोजगार उद्यमी बनने में सक्षम बनाती है कृषि ,बागवानी, खाद्य प्रसंसकरण,हथकरधा, सिलाई, कढाई, कम्प्युटर कार्यस्थल के लिए साफ्ट स्किल और कौशल जैसे सेवाए प्रदान करती है।

महिला शक्ति केन्द्र योजना

यह योजना महिलाओ के संरक्षण एवं शसक्तिकरण के लिए अंब्रेला स्कील मिशन के तहत महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित की गई थी इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओ को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से शसक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है।

राज्य निर्माण के पश्चात पलायन की दशा

छ.ग. राज्य निर्माण होने के पश्चात अनेक रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम चलाये गये परिणाम स्वरूप पलायन की स्थिति में कमी पाई गई छ.ग. राज्य में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की योजनाओ के संचालन के पहले वित्तीय वर्ष 2000–2001 के बीच में यहा से पलायन करने वालो की संख्याा 5 लाख 65 हजार से भी अधिक थी राज्य बनने के पश्चात केन्द्र सरकार कि तरफ से राज्य को अनुदान मीलना प्रारंभ हुआ और धीर–धीरे राज्य की आर्थिक स्थति मजबुत होती गई छ.ग. राज्य की तरह अन्य नवनिर्मित राज्य राजनैतिक अस्थिरता के कारण से बेरोजगारी दुर करने में वह मुकाम हासिल नही कर सके जो छ.ग. राज्य में बहुत कम ही समय में हासिल किया।वर्तमान समय में भी पलायन पुरी तरह से समाप्त नही हुआ है लेकिन पलायन की स्थिति लगातार घटती जा रही है।

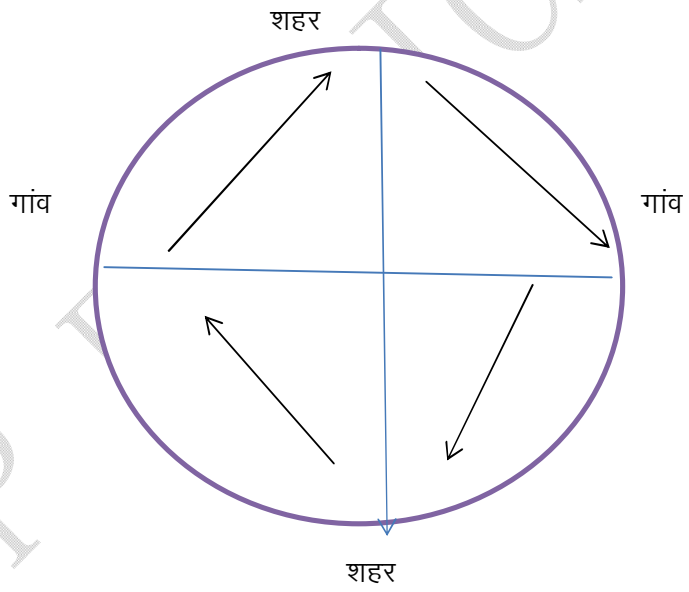

छ ग राज्य में पलायन की स्थिति

छ ग राज्य में पलायन की संख्या

वर्ष	प्लायन की संख्या	पलायन परिवर्तन दर
2000 – 2001	5,65,000	(–37.88)%
2005 – 2006	3,51,000	(–47.29)%
2010 – 2011	1,85,000	(–83.78)%
2016 – 2017	30,000	

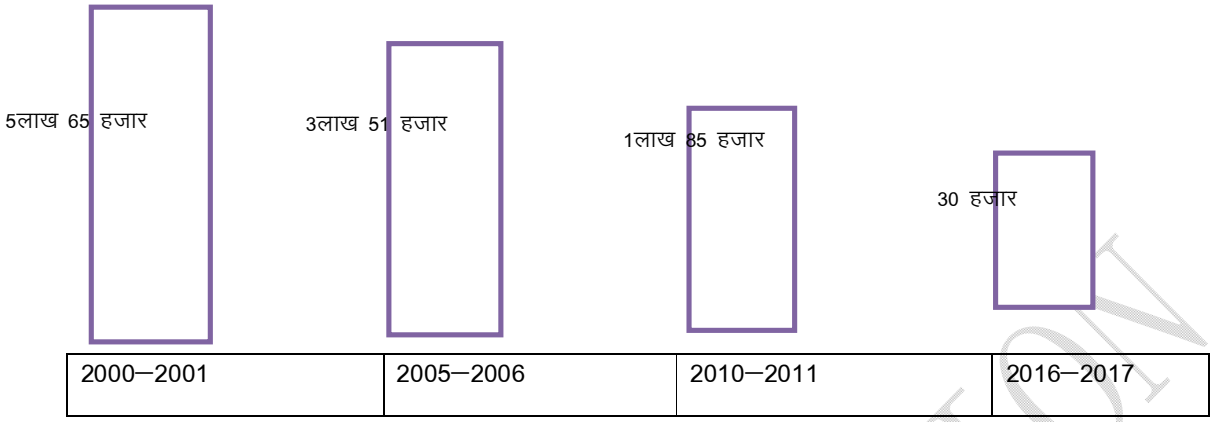

उपरोक्त सारणी जिसमें वर्ष 2000 – 2017 के बीच पलायन कि स्थिति को दर्शाया गया है वर्ष 2000 – 2001 में राज्य में कुल पलायन करनें वालें जनसंख्या 5 लाख 65 हजार थी जो कि घटकर आगामी 5 वर्षो में 2005 – 2006 के बीच में 37.88% से घटकर 3 लाख 51 हजार हो गया इसी प्रकार वर्ष 2010 – 2011 के बीच में पुनः 47.49 % पलायन परिवर्तन दर में गिरावट पाया गया जो कि घटते क्रम में पाया गया पुनः वर्ष 2016 – 2017 के बीच पलायन कि स्थिति को देखें तो आश्चर्यजनक गिरावट के साथ कुल 30000 मात्र दर्ज किया गया इस प्रकार सरकार द्वारा चलाये गए रोजगार कार्यक्रम एवं स्व रोजगार के कारण ही अदभूत सफलता पलायन को रोकनें में पाया गया है।

परिणाम एवं व्याख्या

ग्रामीण पलायन को रोकनें के लिये सामाजिक समानता एवं न्याय पर आधारित समाज कि स्थापना करना अति आवाश्यक है। सभी विकास योजनाओं में अपेक्षित वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करनें वाले लोगो को विशेष सूविधा दी जा रही है इसके आलावा महिलाओं के लिये सहायता समूह के माध्यम से स्व व्यवसाय चलाने के लिये अनेक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सामाजिक विकास तथा योजनाबद्ध विकास कि अनेक योजनाओं के माध्यम से गावों की हालात बेहतर बनानें और ग्रामिणों के लिये रोजगार जुटानें पर ध्यान केन्द्रीत किया जा रहा है जिसके कारण राज्य में पलायन की स्थिति में कमी आयी है।

संदर्भ

शर्मा श्रीनाथ (2009) पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास
खत्री हरीश कुमार (2013) शोध प्रकृति किताब महल

शर्मा डा एन के (2009) शोध प्रकृति खेल साहित्य
कुटारिया डा सुरेन्द्र एवं पालिवाल डा नेहा (2018) शोध प्रकृति , नेशनल पबलिशिंग।
लालीया एन (2008) स्वः सहायता समूह और सुक्ष्म वित्त।
मलहोत्रा राकेश (2007) विभिन्न योजनाओं मे स्व सहायता समूह

WWW.vikashpedia.com
WWW.chhattishgarh.word.press.com
WWW.cards.org.in

इण्डियन जनरल ऑफ एग्रीकलचर इकानामिक्स अंक (2001)
वार्षिक प्रतिवेदन छ0 ग0 स्व सहायता समूह
प्रशिक्षण संदीशिका महिला एवं बाल विकास विभाग
वार्षिक प्रतिवेदन छ0 ग0 समूदायिक एवं ग्रामिण विकास।

श्रीमति विनिता गौतम
शोध पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर(छ.ग.)
सहायक प्राध्यापक शा. नवीन कन्या महाविद्यालय जिला बेमेतरा छ.ग.

LBP PUBLICATION